संख्या- 624 /एक-10-2023-33(36)/2023

प्रेषक,

प्रभु एन0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद , लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊः दिनांकः 26 अप्रैल, 2023

विषयः- सूडान में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिये व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के पत्र संख्या- 181/एक-रा0-11-2023-1(जी)/2022, दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपरेशन कावेरी के तहत सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुविधा हेतु एयरपोर्ट, आने वाले नागरिकों को उनके निवास स्थल पर भेजे जाने में अथवा अन्य आवश्यक व्यवस्था पर होने वाले व्यय हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 1,80,00,000/- (रू0 एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)** की धनराशि निम्न तालिका के कालम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कालम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र.सं.	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
1	गौतमबुद्धनगर	100.00
2	गाजियाबाद	50.00
3	लखनऊ	10.00
4	गोरखपुर	10.00
5	वाराणसी	10.00
योग-		180.00
(रूपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)		

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुविधा हेतु एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क की स्थापना स्थानिक आयुक्त , उ0प्र0, नई दिल्ली के निर्देशन में की जायेगी, जिसमें गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा अधिकारियों की तैनाती आवश्यकतानुसार की जायेगी ।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) जिलाधिकारी, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि यदि सूडान से दिल्ली या अन्य एयरपोर्ट से आने वाले प्रदेश के नागरिक हवाई जहाज से लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते है, तो उन्हें वाहन उपलब्ध कराकर उनके गंतव्य स्थल त पहुंचाने हेतु एयरपोर्ट पर टीमें तैनात करने का कष्ट करें

(4) शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

6- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये 1,80,00,000/- (रू0 एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा मद से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/वी-1-227/दस-2023-231-/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभु एन0 सिंह)
सचिव।

संख्या- 624 (1)/एक-10-2023-33(36)/2023 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफिसर , मुख्य सचिव , उ0प्र0 शासन।
4- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, नई दिल्ली।
6- प्रबन्ध निदेशक , उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निम, लखनऊ।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

8- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/ राजस्व अनुभाग-11

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-26/04/2023

प्रेषण संख्या:- 624
आवंटन आदेश संख्या:- 001-624
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 12700000	1000000 12700000
2	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 21100000	1000000 21100000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 14500000	1000000 14500000
4	गाजियाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 8000000	5000000 8000000
5	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 13000000	10000000 13000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	18000000 69300000	18000000 69300000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ अस्सी लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ तिरानवे लाख

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.04.26 05:56:10 +05:30

संख्या–181 / एक–रा0–11–2023–1(जी) / 2022

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर।
2– स्थानिक आयुक्त,
उ0प्र0, नई दिल्ली।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक 26 अप्रैल 2023

विषयः– सूडान में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूडान में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत सूडान से उत्तर प्रदेश के निवासी व्यक्ति **"आपरेशन कावेरी"** के तहत वापस आ रहे हैं।

2. सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भारत वापस पहुंचने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगीः–

(1) सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुविधा हेतु एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क की स्थापना स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, नई दिल्ली के निर्देशन में की जायेगी, जिसमें गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा अधिकारियों की तैनाती आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(2) एयरपोर्ट, आने वाले नागरिकों को उनके निवास स्थल पर भेजे जाने में अथवा अन्य आवश्यक व्यवस्था पर होने वाले व्यय हेतु निम्नानुसार धनराशि आवंटित की जा रही है–

क्रम	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि रू0 लाख में
1	गौतमबुद्धनगर	100.00
2	गाजियाबाद	50.00
3	लखनऊ	10.00
4	गोरखपुर	10.00
5	वाराणसी	10.00
	योग	**180.00**

(रू0 एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)

(3) जिलाधिकारी लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि सूडान से दिल्ली या अन्य एयरपोर्ट से आने वाले प्रदेश के नागरिक हवाई जहाज से लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते है, तो उन्हें वाहन उपलब्ध कराकर

उनके गंतव्य स्थल तक पहुचाने हेतु एयरपोर्ट पर टीमें तैनात करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि में से आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3. उक्त पर होने वाले व्यय का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय से किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–181(1)/एक–रा0–11–2023 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8. नोडल अधिकारी, बजट।
9. वरिष्ठ एवं वित्त लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय।
10. गार्ड फाइल/राजस्व अनुभाग–10।

आज्ञा से,

(प्रभु एन0 सिंह)
सचिव।